

अध्याय VI: आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्य पद्धति

6.1 प्रस्तावना

आयकर विभाग (आईटीडी) में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और विस्तार का निर्धारितियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि, राजस्व वसूली और परिणामस्वरूप आईटीडी के कार्य की मात्रा में वृद्धि से तालमेल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप आईटीडी के सुचारु कार्य संचालन में लंबे समय में मूल सुविधाओं में गंभीर कमियाँ उत्पन्न हुई।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने स्थिति की जांच और सुधार के लिये तरीके और उपाय बताने हेतु नवम्बर 2002 में तीन सदस्यों की संरचना पर कार्य दल (टीआईएफ) बनाया। टीआईएफ ने जून 2003 में सीबीडीटी को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में नोट किया कि आईटीडी की आवश्यकताएँ काफी अधिक बढ़ गई हैं। करदाताओं की संख्या में अधिक वृद्धि से व्यय बजट के साथ-साथ भौतिक संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त, आधुनिक तकनीक के अधिक प्रयोग से व्यापार प्रक्रिया की पुनर्रचना, जनशक्ति की पुनः तैनाती, श्रमबल के कौशल का उन्नयन और उनका गहन प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया था। कार्यालय का नक्शा जो मैनुअल स्थिति में कार्य करने के लिये बनाया गया था, वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं लग रहा था। यद्यपि मौजूदा संरचना पर मांग की काफी वृद्धि हुई थी, परन्तु संरचना का सुधार पीछे रह गया था। टीएफआई ने संरचना में कमियों को पूरा करने हेतु कई उपाय बताये।

इस पृष्ठभूमि में, सीबीडीटी के अंतर्गत निदेशालय संरचना (निदेशालय) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का दिनांक 21 नवम्बर 2005 को गजट अधिसूचना के माध्यम से गठन किया गया था। निदेशालय आईटीडी हेतु निर्माण कार्यक्रम बनाने के लिये और अखिल भारतीय आधार पर उनके क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है, जिसमें निवास की अनुसूची बनाने सहित प्रत्येक प्रस्ताव की जांच, योजना और अनुमान की समीक्षा और सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना शामिल हैं। निदेशालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में प्रस्तावों की समीक्षा, निर्माण के संबंध में बजट प्रस्ताव को अंतिम रूप देने, बिल्डिंग की खरीद के लिये भी उत्तरदायी है। विभागीय बिल्डिंग की मरम्मत और छोटे कार्य, कार्यालय/कार्यालय सहित आवासीय आवास किराये पर लेने, प्रतिस्थापना सहित आईटीडी हेतु वाहनों की खरीद

और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्तावों की जांच भी निदेशालय द्वारा की जा रही थी।

निदेशालय को एडीजी (संरचना)-I, एडीजी (संरचना)-II और एडीजी (संरचना)-III की अध्यक्षता में तीन विंगों में विभाजित किया गया है। एडीजी (संरचना)-I कार्यालय बिल्डिंग को किराये पर लेने सहित अखिल भारतीय संरचना परियोजना के लिये उत्तरदायी है। एडीजी (संरचना)-II पूँजी और राजस्व बजट के आबंटन सहित अखिल भारतीय बजट हेतु उत्तरदायी है। एडीजी (संरचना)-III विभिन्न अध्ययन के आयोजन और परिणाम संरचना दस्तावेज के लिये उत्तरदायी है।

6.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये आयोजित की गई थी कि क्या:

क) आईटीडी के संरचना मैनुअल और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में शामिल निर्देशों का आईटीडी में संरचना के विकास से संबंधित कार्य की योजना और निष्पादन के दौरान पालन किया गया था;

ख) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रावधान और आईटीडी के निर्देशों का सार्वजनिक धन खर्च करते समय पालन किया गया था।

6.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निदेशालय के कार्य के मूल्यांकन हेतु मानदंड के निम्नलिखित स्रोतों पर विश्वास किया गया था:

क) निदेशालय संरचना द्वारा जारी संरचना मैनुअल।

ख) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005

ग) समय-समय पर मंत्रालय/सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश।

घ) सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल

6.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि कवर की गई है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सभी स्वीकृत, पूर्ण के साथ-साथ चालू परियोजनाओं की जांच की गई थी। इस लेखापरीक्षा में निदेशालय और प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी के कार्यालयों जहां पर निर्माण कार्य चल रहे थे, के अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच शामिल है। अपेक्षित 838 फाइलों/अभिलेखों में से, आईटीडी ने 712 रिकॉर्ड प्रस्तुत किये, जिनकी लेखापरीक्षा में जांच की गई थी। आईटीडी ने शेष 126 फाइले/अभिलेख (15 प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किये।

6.5 परियोजनाओं की योजना और निष्पादन

6.5.1 भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव के साथ पूर्ण जानकारी प्रस्तुत न करना

प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी द्वारा भूमि की खरीद हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को उचित समय के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिये। 'संरचना मैनुअल' (मैनुअल) का पैरा 2.4 निर्धारित करता है कि जगह की आवश्यकता की निर्धारित शर्तों के अनुसार गणना करनी चाहिये, भूमि की खरीद हेतु पूर्ण औचित्य दिया जाना चाहिये और अपेक्षित प्रमाणपत्र/जांच सूची को प्रस्ताव के साथ प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये। मैनुअल⁹⁷ निर्धारित करता है कि भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि की उचितता की बारे में सीपीडब्ल्यूडी से प्रमाण पत्र भी होना चाहिये, जिसमें स्थलाकृति, आकार, सुगम्यता, आवश्यक मूल संरचना जैसे पानी, बिजली, सीवर आदि जो प्लॉट की उपयुक्तता को प्रभावित करते हैं, की उपलब्धता शामिल है। निर्धारित जांच सूची के अनुसार, प्रस्ताव के साथ जिला/स्थानीय प्राधिकारी का गैर-बाधा का प्रमाणपत्र भी होना चाहिये। मैनुअल में अपेक्षित है कि एसएफसी/सीएनई⁹⁸ जापन (₹ 20 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव के लिए) भी प्रस्ताव के साथ भेजा जाना चाहिये।

11 राज्यों⁹⁹ में 17 कमिश्नरियों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के 21 प्रस्तावों में लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी ने सभी पहलुओं में पूर्ण प्रस्ताव नहीं भेजे (परिशिष्ट 6.1)। सीसीआईटी द्वारा प्रमाण-पत्र, जांच सूची, प्रमाणित ले आउट प्लॉन, ऑफर की वैधता की अवधि आदि सहित

97 आईटीडी के संरचना मैनुअल का परिशिष्ट XVI(बी)

98 एसएफसी-स्थाई वित्तीय समिति, सीएनई-गैर-योजना व्यय हेतु समिति

99 चंडीगढ़-1, छत्तीसगढ़-1, गुजरात-1, हरियाणा -2, झारखंड-3, महाराष्ट्र-3, मध्यप्रदेश-3, राजस्थान-2, तमिलनाडु-2, उत्तर प्रदेश-2, उत्तराखंड-1

अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्ताव के साथ नहीं भेजे गये थे। परिणामस्वरूप इन प्रस्तावों को क्लियर नहीं किया जा सका और निदेशालय में लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन 21 प्रस्तावों में से, 13 प्रस्ताव एक वर्ष से नौ वर्ष तक की अवधि के लिये लंबित थे जिसमें से आठ प्रस्ताव दो से पांच वर्ष पुराने थे और दो प्रस्ताव सात वर्ष से अधिक पुराने थे।

केवल भूमि अधिग्रहण के प्रारंभिक स्तर पर ही उचित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएण्डईएस) की सहमति में विलम्ब हुआ।

6.5.2. भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की खराब समीक्षा

लेखापरीक्षा ने 16 राज्यों¹⁰⁰ में 25 कमिश्नरियों से संबंधित 54 मामले देखे (परिशिष्ट 6.2) जहां आईटीडी ने मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किये बिना 1973 से 2014 की अवधि के दौरान भूमि का अधिग्रहण किया था जिसके परिणामस्वरूप यह अनुपयुक्त पड़ी रहीं। जांच से पता चला कि प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में कमियों के बावजूद, निदेशालय ने भूमि अधिग्रहण हेतु एएण्डईएस दिया। इसके परिणामस्वरूप भूमि का उपयोग नहीं हुआ जिससे भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। तीन मामलों के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

6.5.2.1 फाइनेंस सिटी, बेंगलुरु में भूमि - भूमि का अधिग्रहण जहाँ मूल सिविल संरचना नहीं थी और परिणामस्वरूप उपयोग नहीं हुआ

डीआईटी(1) द्वारा कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु, पट्टे के साथ बिक्री आधार पर मैसर्स आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) द्वारा नई विकसित फाइनेंस सिटी परियोजना, देवनहल्ली, निकट बेंगलुरु ग्रामीण जिला में दो एकड़ भूमि की खरीद हेतु प्रधान सीसीआईटी, बेंगलुरु का ₹ 7.50 करोड़ की लागत का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था (जनवरी 2013)। आधिपत्य प्रमाण-पत्र मैसर्स आईआईडीएल को राशि का भुगतान करने के बाद और ₹ 18.83 लाख के स्टॉप शुल्क का भुगतान करने के बाद अक्टूबर 2013 में पट्टे सहित बिक्री करार पंजीकृत करा कर प्राप्त किया गया था। बाद में विभाग ने पानी, बिजली आदि जैसी मूल सुविधाओं की गैर उपलब्धता के कारण निर्माण बंद करने का निर्णय लिया (मई 2014)।

100 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-3, असम-2, बिहार-3, दिल्ली-1, गोवा-3, गुजरात-6, हरियाणा-5, झारखंड-2, कर्नाटक-2, महाराष्ट्र-4, मध्य प्रदेश-1, ओडिशा-5 राजस्थान-4, उत्तर प्रदेश-4, उत्तराखंड-1 और पश्चिम बंगाल-8

इस प्रकार, प्रधान सीसीआईटी/निदेशालय ने मैनुअल में दिये गये भूमि अधिग्रहण दिशानिर्देश की अनदेखी की और नये विकसित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की, जहां मूल सिविल संरचना सुविधाएँ अभी प्रदान की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप भूमि का उपयोग नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्य अर्थात कार्यालय क्षेत्र में भारी कमी को पूरा करना पूर्ण नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त, प्रधान सीसीआईटी, बेंगलुरु ने पट्टे सहित बिक्री करार विलेख के निष्पादन हेतु स्टॉप शुल्क के प्रति ₹ 18.83 लाख का भुगतान किया यद्यपि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 285(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त है जो कर के भुगतान से संघ सरकार को छूट देता है।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि यह निष्फल निवेश का मामला नहीं था क्योंकि भूमि पर निवेश करने से भविष्य में मूल्य बढ़ेगा और इसके अतिरिक्त भूमि बेंगलौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप थी। उत्तर आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में न रखते हुये भूमि अधिग्रहण के निर्णय को तर्क संगत ठहराने का कमजोर प्रयास है। इस बीच, विभागीय कार्यालय किराये की बिल्डिंग से कार्य करते रहे।

6.5.2.2 साकेत नई दिल्ली में भूमि-अनअधिकृत कब्जे वाली भूमि का अधिग्रहण और परिणामस्वरूप उपयोग न होना

प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से ₹ 15.30 करोड़ की लागत पर साकेत, नई दिल्ली में 2100 वर्ग मीटर भूमि खरीदी (फरवरी 1997), जिसे बाधाओं के कारण 1320 वर्ग कर दिया गया था। यह भूमि बिना यह जांच किये कि भूमि पर कोई अनअधिकृत कब्जा नहीं है, जो भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव हेतु, मैनुअल के अनुसार मूल आश्वासन है, खरीदी गई थी। डीडीए ने आईटीडी को बाधा की भरपाई करने के लिये बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी।

प्रधान सीसीआईटी ने भूमि पर कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु सीपीडब्ल्यूडी से सम्पर्क किया लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ने भूमि के छोटे आकार के कारण कार्य करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद, प्रधान सीसीआईटी ने भूमि पर कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु अनुमान के लिये एनबीसीसी से सम्पर्क किया। एनबीसीसी ने ₹ 54.70 करोड़ की कुल लागत पर फर्नीचर और फिकचर्स सहित कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु मई 2008 में अपना विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर निदेशालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस प्रकार 18 वर्ष से अधिक समाप्त होने के बाद भी निदेशालय

को कार्यालय स्थल के निर्माण हेतु तौर-तरीके की योजना बनानी थी। जिसके परिणामस्वरूप भूमि का उपयोग नहीं हुआ और कार्यालय स्थल किराये पर लेने से किराये का खर्च और ऐसी जगह जिसे असुरक्षित घोषित किया गया है अर्थात् मयूर भवन, पर कार्यालय क्रियाशील रहा। निर्माण की शुरुआती लागत जो ₹ 54.70 करोड़ थी (मई 2008), बढ़कर ₹ 71.31 करोड़ (फरवरी 2015) हो गई जो निर्माण शुरू होने के समय तक और बढ़ सकती है।

विभाग ने कहा (मई 2016) कि विलम्ब का मुख्य कारण सीपीडब्ल्यूडी था जिसने परियोजना में कोई रुचि नहीं दिखाई और कई आपत्तियां उठाई जैसे (i) प्लॉट का आकार कम होने से अपर्याप्त बेसमेंट पार्किंग होगी, (ii) केन्द्रीकृत रूप से वातानुकूलित बिल्डिंग का निर्माण संभव नहीं है, (iii) महंगे बाहुधरन निर्माण की सहायता लेनी पड़ेगी, आदि। इसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव में संशोधन हुआ। बाद में, एनबीसीसी से कार्य करवाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद, यह निर्णय लिया गया कि मामले को वित्त मंत्री द्वारा आरएसआरआई (राजस्व सेवा अनुसंधान संस्थान) पर अंतिम निर्णय लेने तक लंबित रखा जाये। विभाग ने प्रक्रियागत औपचारिकताओं को भी निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब का कारण बताया और यह कि ऐसे प्रक्रियागत विलम्ब सरकारी परियोजनाओं में अक्सर देखे जा सकते हैं।

विभाग का उत्तर अति सामान्य और अस्पष्ट है और भूमि अधिग्रहण करते समय उचित निर्णय न लेने और उसके बाद 18 वर्ष से अधिक तक मामले को लंबित करने के लिये कोई भी उचित तर्क नहीं देता है। यह स्पष्ट रूप से मामले को निपटाने में विभाग का लापरवाह दृष्टिकोण दर्शाता है।

6.5.2.3 पहुँचने का मार्ग सुनिश्चित किये बिना स्थलरूढ़ संपत्ति की खरीद

सीसीआईटी पणजी, गोवा को गोवा सरकार द्वारा 3130 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की गई थी, जिसका कब्जा अप्रैल 2000 में लिया गया था। सीसीआईटी ने कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा (नवम्बर 2000)। निदेशालय ने 961 वर्ग गज में कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रस्ताव को करीब छह वर्ष समाप्त होने के बाद स्वीकृत किया (अगस्त 2006)। ले आउट प्लान तैयार करते समय सीपीडब्ल्यूडी ने देखा कि भूमि का कोई पहुँच मार्ग नहीं है। पहुँच मार्ग हेतु भूमि का मार्च 2016 तक भी अधिग्रहण किया जाना बाकि था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करते समय और बिल्डिंग का प्रस्ताव स्वीकृत करते समय, सीसीआईटी, पणजी और निदेशालय यह देखने में विफल रहे कि ली जा रही भूमि का कोई पहुँच मार्ग नहीं है, जिसके

परिणामस्वरूप अधिग्रहण के 16 वर्षों के बाद भी भूमि उपयोग में नहीं आई। इसके अतिरिक्त, विभाग का कार्यालय किराये के परिसर में क्रियाशील रहा जो परिहार्य था।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि वो गोवा सरकार के साथ मामले का समाधान निकाल रहा था जो इस तथ्य से अलग नहीं है कि अधिग्रहण स्तर पर प्रस्ताव की खराब समीक्षा हुई थी।

परियोजनाओं की योजना और खाका तैयार करने के स्तर पर उचित निर्णय लेने में निदेशालय की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप भूमि का अधिग्रहण हुआ जो अति आवश्यक कार्यालय स्थल के निर्माण हेतु प्रयोग के लिये अनुपयुक्त थी।

6.5.3 कार्यालय और आवासीय बिल्डिंगों के निर्माण में कमियां

मैनुअल के पैरा 3.1 में विस्तृत अनुमान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार करने हेतु भेजने से पूर्व अधिक समय/लागत से बचने के लिये अनुमान तैयार करते समय प्रस्तावित स्पेशिफिकेशन्स/विशेष विवरणों को निश्चित करने ड्राइंग/डिजाइन बनाने के स्तर पर सीपीडब्ल्यूडी के साथ निकट संपर्क रखना, अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने कार्य के निष्पादन में 21 राज्यों¹⁰¹ में 27 सीसीआईटी के अंतर्गत विभिन्न कमियों वाले अर्थात् उपरोक्त के गैर-अनुपालन के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब और परिणामस्वरूप अधिक लागत, परिहार्य भुगतान और अभिलेखों का रखरखाव करना/अनुचित रखरखाव आदि के 54 मामले देखे। इन मामलों में ₹ 287.07 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहितार्थ था। दो मामलों के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

6.5.3.1 स्पेशिफिकेशन्स के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता और निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि

प्रभार: प्रधान सीसीआईटी पश्चिम बंगाल और सिक्किम

आयकर भवन, शांति पालि में पूर्वा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कार्यालय बिल्डिंग और आरटीआई/कार पार्क के निर्माण हेतु कार्य ₹ 35.12 करोड़ के प्रारंभिक अनुमान पर स्वीकृत किया गया था (नवम्बर 1998)। कार्य, जो मार्च 2005 (प्रशासनिक खण्ड) और मार्च 2006 (आरटीआई/कार पार्क) तक पूर्ण

101 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-2, असम-2, चंडीगढ़-1, छत्तीसगढ़-1, दिल्ली-2, गोवा-1, गुजरात-3, हरियाणा-1, हिमाचल प्रदेश-3, जम्मू और कश्मीर-2, कर्नाटक-3, केरल-2, महाराष्ट्र-7, मध्य प्रदेश-3, ओडिशा-2, पंजाब-2, राजस्थान-4, तमिलनाडु-1, त्रिपुरा-1, उत्तराखंड-1 और पश्चिम बंगाल-10

किया जाना नियत था, क्रमशः अक्टूबर 2012 और अगस्त 2015 में पूर्ण किया गया था। परियोजना की लागत दिसम्बर 2012 में ₹ 60.15 करोड़ संशोधित की गई थी (परियोजना पर वास्तविक व्यय लेखापरीक्षा में निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि वो विभाग के पास उपलब्ध नहीं था)। कार्य में सात वर्ष से ज्यादा का अधिक समय लगा और ₹ 25.03 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

पूर्ण करने में विलम्ब मुख्य रूप से 2000 तक सीडीओ,सीपीडब्ल्यूडी से पाइल फाउंडेशन कार्य को करने हेतु संरचनात्मक ड्राइंग्स की स्वीकृति लेने, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) से बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता और केएमसी से बहुमंजलीय इमारत की ऊंचाई की लंबित क्लियरेंस, सीसीआईटी द्वारा ड्रेनेज प्रणाली के लिए विलम्ब से फीस जमा करना, ड्राइंग्स/स्पेशिफिकेशन्स में परिवर्तन, प्रगति कार्य की अपर्याप्त निगरानी जो मुख्य रूप से नियंत्रण योग्य थे, में सीसीआईटी, कोलकाता की विफलता के कारण था। सीसीआईटी, कोलकाता और निदेशालय की प्रगति की निगरानी और डिजाइन विशेषताओं को फ्रीज करने में विफलता के परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब हुआ।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब उसके नियंत्रण के बाहर था और पूर्ण रूप से कार्यकारी एजेंसी के कारण था। यह भी कहा गया कि विशिष्टताओं में परिवर्तन हेतु लिया गया निर्णय तर्कसंगत था और इसके पूर्व-नियोजित और व्यवस्थित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप किसी भी सरकारी विभाग की सबसे बेहतरीन, आधुनिक और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग का निर्माण हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिल्डिंग की आवश्यकताओं और विशेषताओं को कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण शुरू करने से पूर्व प्रधान सीसीआईटी द्वारा अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार, विशेषताओं को फ्रीज करने और उचित निगरानी में विफलता के परिणामस्वरूप अधिक लागत और समय लगा।

6.5.3.2 निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप बिल्डिंग के निर्माण में विलम्ब हुआ

सीसीआईटी चण्डीगढ़ ने मार्च 2006 में सेक्टर 39-बी, चण्डीगढ़ में सीआईटी रैंक अधिकारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 3008.33 वर्ग गज भूमि खरीदी। निर्माण तीन वर्ष में अर्थात् मार्च 2009 तक पूर्ण किया जाना था।


निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति मार्च 2009 में प्राप्त हुई थी और बिल्डिंग प्लान मार्च 2011 में पीएसी, यूटी, चण्डीगढ़ से अनुमोदित किया गया था और इस प्रकार, निर्माण तब तक भी शुरू नहीं हुआ था जब तक उसका पूर्ण होना अपेक्षित था। आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्य जुलाई 2015 में दिया गया।

निदेशालय/संबंधित सीसीआईटी द्वारा निगरानी और जांच के अभाव के परिणामस्वरूप आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में विलम्ब हुआ और अपेक्षित उद्देश्य के लिये भूमि का उपयोग नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण में विलम्ब के कारण, एस्टेट अधिकारी, यूटी, चण्डीगढ़ ने ₹ 1.67 करोड़ का विस्तार शुल्क लगाया।

6.6 वित्तीय प्रबंधन

6.6.1 उपलब्ध बजट का खराब बजटीकरण और उपयोग न होना

2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान पूंजीगत आउटले एम.एच. 4059 - कार्यालय स्थल का अधिग्रहण, एम.एच. 4075 - संपत्ति का अधिग्रहण और एम.एच. 4216 - आवासीय स्थल का अधिग्रहण के अंतर्गत आईटीडी द्वारा वर्ष-वार बजट और वास्तविक व्यय नीचे चार्ट 6.1 में दिया गया है:



निदेशालय समीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में पूर्ण बजट का उपयोग करने में विफल रहा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे कई प्रस्ताव थे जहां एएंडईएस पहले से दिये गये थे और कई एएंडईएस का इंतजार कर रहे थे। यद्यपि जगह की कमी 2012-13 में 32 प्रतिशत से बढ़ कर 2015-16 में 45

प्रतिशत हो गई, बजटीय आबंटन के उपयोग की प्रतिशतता 2013-14 में 76 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 17 प्रतिशत हो गई।

6.6.2 खराब वित्तीय प्रबंधन

सामान्य वित्तीय नियम 21 में प्रावधान है कि प्रत्येक अधिकारी जो सार्वजनिक धन से व्यय करता है या व्यय प्राधिकृत करता है, को वित्तीय उपयुक्तता के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय आदेश और कड़ी अर्थव्यवस्था का भी पालन करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि सभी उचित वित्तीय नियम और विनियमों का उसके स्वयं के और अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पालन किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने ₹ 246.81 करोड़ की राशि से जुड़ी निधि का उपयोग न करने, सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करने, भूमि की खरीद में अत्यधिक विलम्ब, भूमि की खरीद पर कर की कटौती न करने, लंबित भुगतान पर ब्याज के कारण परिहार्य भुगतान, स्टॉप शुल्क आदि से संबंधित 51 मामले 17 राज्यों¹⁰² में 25 सीसीआईटी में देखे।

6.6.3 सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न करना

सामान्य वित्तीय नियम 220 के अनुसार, कोई भी प्राधिकारी सरकारी खाते से निवेश या जमा करने हेतु व्यय या धन स्थानांतरण से जुड़ी किसी भी देयता में शामिल या कोई व्यय नहीं कर सकता जब तक वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो। इसके अतिरिक्त, नियम 23, के सरकार की वित्तीय शक्तियां समय-समय पर संशोधित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के माध्यम से विभिन्न अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

संरचना मैनुअल के पैरा 1.2 के अनुसार, प्रस्ताव जिनमें अध्यक्ष, सीबीडीटी की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे व्यय की स्वीकृति अपेक्षित हो, दिनांक 6 अप्रैल 2010 के का.जा. संख्या 1(9)/ई-11(ए)/107 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन से संबंधित निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि तीन मामलों में ₹ 190.33 करोड़ की राशि का व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था, जैसा नीचे तालिका 6.1 में दिया गया है:

102 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना -1, बिहार-6, छत्तीसगढ़-1, दिल्ली-3, गुजरात-6, हरियाणा-4, झारखंड-2, कर्नाटक-3, केरल-2, महाराष्ट्र-3, ओडिशा-2, पंजाब-1 राजस्थान-2, तमिलनाडु-8, उत्तराखंड-1, उत्तर प्रदेश-4 और पश्चिम बंगाल-2

तालिका 6.1: सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न की गई अनुज्ञा का विवरण						
क्र. सं.	विषय	सीसीआईटी प्रभार	राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी	किसके द्वारा स्वीकृत
1	नरीमन प्वाइंट, मुंबई में पट्टे पर/ किराये पर कार्यालय स्थल लेना	मुंबई	107.47 (तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिये ₹ 2.98 करोड़ प्रतिमाह)	20.3.2015	प्रभारी मंत्री/वित्त मंत्री	राजस्व सचिव
2.	मैसर्स बीवीजी, सिविक सेन्टर दिल्ली का ठेका बढ़ाना	दिल्ली	49.21	24.6.2015	प्रभारी मंत्री	राजस्व सचिव
3.	अतिरिक्त परिचालन वाहनों को किराये पर लेना	सभी प्रधान सीसीआईटी/ डीजीआईटी	33.65	16.01.2015	प्रभारी मंत्री	राजस्व सचिव

विभाग ने उत्तर दिया (मई 2016) कि अतिरिक्त संचालन वाहनों के किराये पर लेने से संबंधित ₹ 33.65 करोड़ की स्वीकृत राशि के मामले में राजस्व सचिव (रा.स.) ने यह माना कि इस मामले को अनुमोदित करने के लिये वो सक्षम प्राधिकारी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.स. से नीचे का पदक्रम मैनुअल के प्रावधानों से पूर्ण रूप से अवगत था और इस पर स्वीकृति हेतु उचित सक्षम प्राधिकारी के बारे में रा.स. को सूचित करना चाहिये था।

6.6.4 पट्टे/किराये पर स्थल लेने में अनियमितता

दिनांक 15.09.2011 के राजस्व विभाग के का.ज्ञा. के अनुसार सीबीडीटी के नियंत्रण के अंतर्गत विभागाध्यक्ष ए-1 और ए श्रेणी शहर में ₹ 3,00,000/- प्रतिमाह और अन्य शहरों में ₹ 1,50,00 प्रतिमाह तक कार्यालय स्थल किराये पर ले सकता है/किराये को पुनः निर्धारित कर सकता है। संरचना मैनुअल के अनुसार, किराया पुनः निर्धारित करने के प्रस्ताव के मामलों जहां पुनः निर्धारित करने के बाद प्रस्तावित किराया विभागाध्यक्ष की वित्तीय सीमा से अधिक हो जाता है, के संबंध में निदेशालय के माध्यम से स्वीकृति हेतु सीबीडीटी को प्रस्तुत करना चाहिये।

लेखापरीक्षा के दौरान, किराये का अनाधिकृत रूप से भुगतान, मानक पट्टा करार के अनुसार किराया निर्धारित न करने, किराये के पुनः निर्धारण/पट्टा करार में विलम्ब, किराये के अधिक भुगतान से संबंधित 32 मामले नौ राज्यों¹⁰³ में 11 सीसीआईटी से संबंधित किराये के पुनः निर्धारण में ₹ 59.57 करोड़ की अनियमितता देखी।

6.6.5 पट्टे करार के पुनः निर्धारण के बिना पट्टे पर स्थान जारी रखना

संरचना मैनुअल का अध्याय 6 निर्धारित करता है कि समान दर पर या संशोधित दर पर पट्टे पर लिये गये परिसर को किराये पर जारी रखने के लिये मूल/मौजूदा किराया करार/विलेख समाप्त होने की तिथि से कम से कम छह माह पूर्व प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिये।

निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 136 मामलों में किराये के पुनः निर्धारण की स्वीकृति एक से 23 वर्षों तक लंबित थी। चालीस पट्टे के मामले 10 वर्षों से अधिक से पुनः निर्धारण हेतु लंबित है, जिसमें से सात मामले 20 वर्ष से पुराने हैं। दो मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है:

6.6.5.1 पट्टा किराये पर अनियमित व्यय

प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत दिल्ली में, विभाग ने पट्टे पर मयूर भवन और झंडेवालान पर परिसर किराये पर लिया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मयूर भवन और झंडेवालान बिल्डिंग के संबंध में पट्टा करार क्रमशः 30.03.2009 और 07.08.2013 से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु लंबित थे। मयूर भवन के मामले में मौजूदा दर पर किराये का व्यय ₹ 21.31 करोड़ (अप्रैल 2009 से मार्च 2016) और झंडेवालान में ₹ 17.95 करोड़ (सितम्बर 2013 से मार्च 2016) था। इसके अतिरिक्त, पुनः निर्धारण के अंतर्गत पट्टा अवधि हेतु किराये की मौजूदा दर में किसी भी वृद्धि से पूर्वप्रभावी प्रभाव के कारण अतिरिक्त व्यय होगा।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2016) कि पट्टा करार के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 'गैर-उपलब्धता प्रमाणपत्र' और 'किराया उचितता प्रमाणपत्र' आदि प्राप्त करना शामिल है। प्रमाणपत्र 'प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति' प्राप्त करने के लिये डीआईटी (संरचना) को प्रस्तुत किये गये हैं। जो अभी प्राप्त होनी थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि संरचना मैनुअल में दिये गए मानक पट्टा करार (एसएलए) की धारा 14 में निर्धारित है कि निष्कासन की तिथि या पुनः

103 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-1, बिहार-3, दिल्ली-1, गुजरात-3, झारखंड-7, केरल-2, महाराष्ट्र-3, तमिलनाडु-7, पश्चिम बंगाल-5

निर्धारण की अंतिम तिथि, जैसा भी मामला हो, तक अनंतिम आधार पर पुरानी दर पर किराये का भुगतान जारी रहेगा और अलग दर पर पुनः निर्धारण के मामले में, पट्टेदार को अतिरिक्त भुगतान या कटौती कर के उचित समायोजन करने की अनुमति होगी।

तदनुसार विभाग ने सीबीडीटी से अनुमोदन प्राप्त करने तक अंतिम अनुमोदित दरों पर किराये पर लिये गये परिसर का मासिक किराये का भुगतान करना जारी रखा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसएलए की धारा 14 में यह भी कहा गया है कि 'बशर्ते पट्टेदार समयावधि समाप्त होने के छः माह के अन्दर जहां तक व्यवहारिक हो, उपरोक्त भवन का नया पट्टा करार करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।' विभाग तीन से छह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी करने में असमर्थ था। इस प्रकार उपर्युक्त पट्टे पर खर्च की गई राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन न होने के कारण अनियमित थी।

6.6.5.2 पट्टा करार का नवीनीकरण न करने और कार्यालय स्थानांतरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप किराये का परिहार्य भुगतान

प्रधान सीसीआईटी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम प्रभार के अंतर्गत सिक्किम में, विभाग ने पोद्दार कोर्ट बिल्डिंग, कोलकाता की तीसरी से चौथी मंजिल और आठवीं मंजिल पर बने कार्यालय परिसर (134664 वर्ग.गज) को 1971 में किराये पर लिया। अगस्त 2002 के बाद पट्टा करार का नवीनीकरण लंबित था।

विभाग ने शांति पाल्ली, कोलकाता में प्रशासनिक बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया (अक्टूबर 2012)। अक्टूबर 2012 में नई बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद सीसीआईटी (सीसीए), कोलकाता ने संबंधित सीआईटी को एक सप्ताह के अंदर नई बिल्डिंग में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने को कहा। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीआईटी ने सीसीआईटी (सीसीए) के निदेशों का अनुपालन नहीं किया। संबंधित सीआईटी की स्थानांतरण में विफलता और पोद्दार कोर्ट बिल्डिंग में पट्टे पर लिये गये पूरे स्थान को शीघ्र डी-हायर न करने के परिणामस्वरूप व्यर्थ किराये के प्रति ₹ 5.46 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जैसा नीचे तालिका 6.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.2: किराये के परिहार्य भुगतान का विवरण						
पोद्दार कोर्ट से नई बिल्डिंग में स्थानांतरण	शांति पाल्ली पर एबीपी पूर्ण होने की तिथि	स्थानांतरण की तिथि	अभ्यर्पण की तिथि	स्थानांतरण में विलम्ब	अभ्यर्पण में विलम्ब	किराये का परिहार्य भुगतान (₹ लाख में)
				नई बिल्डिंग से (माह की संख्या)	पूर्ण होने	
तीसरी और चौथी मंजिल	अक्टूबर 2012	अक्टूबर 2012	जून 2013	शून्य	7	113.41
चौथी और आठवीं मंजिल		जुलाई 2015	जुलाई/ अगस्त 2015	33	शून्य	432.35
कुल						545.76

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि 31 मार्च 2013 तक संवीक्षा निर्धारण कार्यवाही पूर्ण न होना, रिटर्नों की प्राप्ति और नियमित पत्रचार के संबंध में निर्धारितियों की शिकायतों से बचने के लिये, पुराने अभिलेखों को अधिक मात्रा में स्थानांतरित करने में विशेषज्ञता प्राप्त सीमित जन शक्ति और बिल्डिंग में नोड्स की स्थापना और संचालन जो कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आवश्यक थे वर्ष के अंत तक न होना, विलम्ब के कारण थे।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग संरचना मैनुअल के अध्याय 6 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था और इसके अतिरिक्त यह अपनी आवश्यकताओं की अग्रिम में योजना बना सकता था।

6.6.6 मरम्मत और रखरखाव कार्य में विलम्ब

सीसीआइटी में निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप अधिक संख्या में पूँजीगत परिसंपत्तियां अर्थात् कार्यालय और आवासीय बिल्डिंग, अतिथिग्रह आदि बने। बिल्डिंग अधिकार में लेने के बाद, उसकी उचित देख-रेख और अधिक समय तक प्रयोग हेतु रखरखाव अनिवार्य है। बिल्डिंग के अपर्याप्त रखरखाव के कारण बिल्डिंग समय से पूर्व खराब हो जायेगी और सुरक्षा चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। सीमित संसाधनों का लाभप्रद रूप से उपयोग करके समन्वित तरीके से कार्य को समय से पूर्ण करना आवश्यक है। मैनुअल का अध्याय 7 मरम्मत और रखरखाव कार्य की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो कहता है कि मरम्मत और रखरखाव के प्रस्तावों को सभी पहलुओं में पूर्ण होना चाहिये और निर्धारित जांच सूची का पालन करना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग मैनुअल के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप आठ¹⁰⁴ राज्यों से संबंधित 25 मामलों में ₹ 5.92 करोड़ की अनियमितता हुई। मरम्मत कार्य पूर्ण करने में विलम्ब एक वर्ष से 22 वर्षों के बीच का था। नौ मामलों में विलम्ब तीन वर्ष से अधिक का था। एक मामले में, 22 वर्षों से अधिक का विलम्ब देखा गया था। एक मामले का उदाहरण नीचे उल्लिखित है:

आवासीय टावरों का लंबित मरम्मत कार्य

निर्माण कार्य नीतियों और खरीद की प्रक्रिया पर मैनुअल के पैरा 5.2.1 में स्पष्ट है कि प्रत्येक खरीद कार्य के लिये कार्य शुरू होने से पहले परियोजना निगरानी की प्रणाली तैयार की जानी चाहिये और उसे कार्य की साइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये। कार्य की निर्माण कार्य समिति द्वारा तिमाही/मासिक आधार पर निगरानी की जानी चाहिये और संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रभारी सचिव को स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये।

प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत दिल्ली में, विभाग ने वैशाली, गाजियाबाद में धाधरा, सरस्वती और शारदा टावर के पूर्ण रूप से विशेष मरम्मत/सुधार का प्रस्ताव रखा। यह आवासीय टावर खराब स्थिति में थे। इन टावरों के मरम्मत कार्य हेतु सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया अनुमान ₹ 12.78 करोड़ था। सीबीडीटी ने ₹ 14.18 करोड़ (इलैक्ट्रिक कार्य हेतु ₹ 1.40 करोड़ सहित) के लिये मई 2011 में अनुमोदन दिया। कार्य 18 माह अर्थात् अक्टूबर 2012 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीपीडब्ल्यूडी ने उपरोक्त उल्लिखित कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया क्योंकि कार्य अप्रैल 2014 तक पूर्ण नहीं किया गया था। परियोजना की मौजूदा स्थिति प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली के पास उपलब्ध नहीं थी। यह दर्शाता है कि प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली/निदेशालय में चालू निर्माण कार्य परियोजनाओं के लिये प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव था।

6.6.7 अतिथि गृह के रखरखाव में अनियमितता, स्टॉक रजिस्टर आदि न बनाना

लेखापरीक्षा ने छह राज्यों¹⁰⁵ से संबंधित 15 मामलों में अतिथिगृह का उचित रखरखाव न करना, स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाना, निरीक्षण नहीं करने जैसी अनियमितताएँ देखीं।

104 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना-1, असम-1, बिहार-1, दिल्ली-9, गुजरात-1, कर्नाटक-4, तमिलनाडु-1 और पश्चिम बंगाल-7

105 गुजरात-5, हिमाचल प्रदेश-1, झारखंड-4, केरल-1, तमिलनाडु-3, पश्चिम बंगाल-1

6.6.8 अचल परिसंपत्ति रजिस्टर, अचल संपत्तियों का केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार न करना आदि

6.6.8.1 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 190(2)(i) में अपेक्षित है कि फार्म जीएफआर-40 में संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर, फिक्चर्स आदि जैसी अचल परिसंपत्तियों का अलग लेखा बनाया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार¹⁰⁶ कमिश्नरियों में जीएफआर 190(2)(i) में अपेक्षित अचल परिसंपत्ति का रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा था। अन्य कमिश्नरियों ने अचल परिसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया।

6.6.8.2 मई 2000 में, आईटीडी ने विभाग की सभी अचल परिसंपत्ति के लिए केन्द्रीय डाटाबेस बनाने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य हेतु आईटीडी ने दिनांक 08.05.2000 के अपने पत्र संख्या एफ.संख्या 208/2/2000-एडी-VIII(डीटी) के माध्यम से सभी सीसीआईटी/डीजीआईटी को प्रत्येक प्रभार द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को विभाग की अचल परिसंपत्ति की उपलब्धता और कमी पर वार्षिक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये। फरवरी 2016 में निदेशालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, विभाग के कब्जे में भूमि के 75 प्लाट थे। यद्यपि, भूमि के इन प्लाटों की वर्तमान स्थिति निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं थी (अप्रैल 2016)। अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि आईटीडी के कब्जे में भूमि के और 22 प्लाट थे (परिशिष्ट 6.3)। जो लेखापरीक्षा को निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में अभिलिखित नहीं थे। यह दर्शाता है कि दिनांक 08.05.2000 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था और निदेशालय द्वारा परिसंपत्तियों का कोई भी केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

6.6.8.3 लंबित और चालू संरचना परियोजनाओं की सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसके अभाव में लेखापरीक्षा आईटीडी के पास वास्तविक निर्धारित परिसंपत्तियों के विवरण की जांच करने में असमर्थ था।

6.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निदेशालय/प्रधान सीसीआईटी द्वारा संरचनात्मक कार्य की योजना और क्रियान्वयन में कमियां देखीं। हमने मामले देखे जहां सीसीआईटी ने सभी पहलुओं में पूर्ण भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा जिसके परिणामस्वरूप अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। ऐसे मामले देखे गये जहां कार्यालय/आवासीय बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि अधिग्रहण

106 दिल्ली, लुधियाना, मुंबई और रांची

की गई भूमि निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं थी। भूमि की अनुपयुक्तता भूमि अधिग्रहण से पूर्व समुचित जांच पड़ताल न करना दर्शाता है। निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएँ शुरू नहीं हुईं। परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिये योजना और अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने निदेशालय द्वारा निर्माण कार्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय प्रबंधन में भी कमियाँ देखीं। निदेशालय पूर्ण रूप से बजटीय आबंटन का उपयोग करने में समर्थ नहीं था यद्यपि कार्यालय स्थल में कमी थी। हमने ऐसे मामले देखे जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा धन के व्यय हेतु अनुमोदन नहीं दिया गया था और पट्टा करार नवीनीकृत किये बिना पट्टे के किराये का भुगतान किया जा रहा था।

हमने इसे अक्टूबर 2016 में वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणी हेतु संदर्भित किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2016)।